लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या–34/1/ई–6/2017–18
प्रयागराजः दिनांक06 अक्टूबर, 2020

विज्ञप्ति

सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) पुरूष/महिला परीक्षा 2018 जो आयोग द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2018 को कुल 29 विषयों में आयोजित हुई थी, के क्रम में उल्लेखनीय है कि पूर्व में 25 विषयों के अभिलेख सत्यापन किये जा चुके हैं। इसके उपरान्त आयोग द्वारा सहायक अध्यापक हिन्दी पुरूष तथा हिन्दी महिला कुल 02 विषयों के परिणाम आयोग द्वारा पूर्णतः औपबंधिक रूप से घोषित किया जा चुका है।

2–विज्ञापन के अनुसार प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न हैः–

(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप मे हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप मे संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा।

(दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।

3–औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना–पत्रक, अंकतालिका तथा अन्य अभिलेख दिनांक08-10-2020से आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। समस्त औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी उपर्युक्त अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं, वे इसे डाउनलोड कर एवं पूर्णतः भरकर निम्न अभिलेखों को उसके साथ संलग्न कर दो प्रतियों के साथ अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोग कार्यालय के परीक्षा हाल के प्रथम तल पर 10:00 बजे से 1:00 बजे तथा 2:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित न होने पर यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नही है अतः उसका परीक्षा परिणाम/अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा और आयोग उक्त रिक्त पद के सापेक्ष अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य हैः–

1–हाईस्कूल अंकपत्र तथा प्रमाण प्रत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

2–इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

3–प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तथा शिक्षा स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

4–आरक्षण एवं स्थाई निवास के दावे के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियां (महिला अभ्यर्थी की दशा में जाति/निवास प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या–22/39/1982–कार्मिक–2, दिनांक 17 मई 1984 के अनुसार पिता पक्ष से ही जारी मान्य होगा)।

5–सरकारी सेवक/कार्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

6–दो पासपोर्ट साइज नवीनतम् फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र के शीर्ष पर तथा दो बिना प्रमाणित फोटोग्राफ मूल आवेदन के शीर्ष पर चस्पा कर उक्तानुसार उपस्थित हों।

नोटः–ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इण्टर, स्नातक, शिक्षा स्नातक एवं अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों में नाम/पिता के नाम में भिन्नता हो, वे इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करें।

चयन कमांक/तिथिवार सत्यापन कार्यकम निम्नवत् है :–

क.सं.	विषय	प्रातः 10:00 बजे से 1:00 बजे तक (चयन कमांक)	अपरान्ह् 2:00 बजे से 5:00 बजे तक (चयन कमांक)	दिनांक
1	हिन्दी पुरुष	001 से 050 तक	051 से 100 तक	15–10–2020
	हिन्दी पुरुष	101 से 150 तक	151 से 200 तक	16–10–2020
	हिन्दी पुरुष	201 से 250 तक	251 से 300 तक	19–10–2020
	हिन्दी पुरुष	301 से 350 तक	351 से 400 तक	20–10–2020
	हिन्दी पुरुष	401 से 450 तक	451 से 500 तक	21–10–2020
	हिन्दी पुरुष	501 से 550 तक	551 से 600 तक	22–10–2020
	हिन्दी पुरुष	601 से 650 तक	651 से 695 तक	23–10–2020
2	हिन्दी महिला	001 से 050 तक	051 से 100 तक	26–10–2020
	हिन्दी महिला	101 से 150 तक	151 से 200 तक	27–10–2020
	हिन्दी महिला	201 से 250 तक	251 से 300 तक	28–10–2020
	हिन्दी महिला	301 से 350 तक	351 से 400 तक	29–10–2020
	हिन्दी महिला	401 से 450 तक	451 से 500 तक	02–11–2020
	हिन्दी महिला	501 से 550 तक	551 से 600 तक	03–11–2020
	हिन्दी महिला	601 से 650 तक	651 से 700 तक	04–11–2020
	हिन्दी महिला	701 से 737 तक		05–11–2020

2–उपरोक्त कार्यकमानुसार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत निम्न बातों का ध्यान रखना अतिआवश्यक होगाः–

(क) अभ्यर्थीगण निर्धारित तिथि एवं समय पर मास्क पहन कर ही आयोग में उपस्थित हों एवं अपने साथ वांछित मूल एवं छाया प्रति अभिलेखों के अतिरिक्त कोई भी सामान यथा बैग, ब्रीफकेश इत्यादि न लायें।

(ख) अभ्यर्थियों से शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में बनाये गये सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अपेक्षित है, तथा उनको आपस में मिलना जुलना एवं नजदीक नहीं बैठना है।

(ग) आयोग के गेट नं0–2 पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को हैण्डवास एवं सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा। हैण्डवास एवं सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं थर्मल स्कैनिंग कराने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आयोग परिसर में प्रवेश करें।

(जगदीश)
सचिव